



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240243
CG-DL-E-14112022-240243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5036]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944

No. 5036]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

(आयकर)

का.आ. 5255(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधाराओं (1), (2) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा का. आ. संख्या 2693 (अ) दिनांक 10 जून, 2022 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना संख्या 61/2022 दिनांक 10 जून, 2022, में निम्न संशोधन करता है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,

- (I) क्रमांक 2259 - क्रमांक 2286 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को तदनुसार हटा दिया जाएगा;
- (II) क्रमांक 2592 - क्रमांक 2612 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को तदनुसार हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या 121/2022 फा.सं.187/3/2020-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 61/2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2693 (अ) दिनांक 10 जून, 2022 के तहत प्रकाशित की गई थी।